INVEST UP

POWERING NEW INDIA

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010

Phone No.: +91-522-2720236, 2720238

Email: info[at]investup[dot]org[dot]in

Website - https://invest.up.gov.in/

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल पॉलिसी 2018

प्रमुख बिन्दु

पात्रता मानदंड :

एमएसएमई इकाइयां	जैसा कि भारत सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है।
वृहद इकाइयां	एमएसएमई से अधिक और रु. 100 करोड़ से कम पूंजी निवेश।
मेगा इकाइयां	पूंजी निवेश रु. 100 करोड़ से अधिक।
क्षैतिज (Horizontal) फार्मा पार्कः	निजी पार्क कम से कम 5 इकाइयों के साथ न्यूनतम 10 एकड़ में विकसित और जिसमें 60% उद्यमियों को आवंटित किया गया है।
वर्टिकल फार्मा पार्कः	निजी पार्क कम से कम 3 इकाइयों के साथ न्यूनतम क्षेत्र 3 एकड़ भूमि पर टावर या टावरों के समूह की तरह विकसित और जिसमें 60% उद्यमियों को आवंटित किया गया हो।

फार्मा इकाइयों को प्रोत्साहन –

- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2017 के अधीन प्रोत्साहन - एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी छूट, पूंजीगत ब्याज सब्सिडी।
- अवस्थापना ब्याज सब्सिडी, औद्योगिक अनुसंधान सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तथा मंडी शुल्क छूट।
- पर्यावरण संरक्षण सब्सिडी के लिए –

  - सामान्य प्रयोजन ईटीपी की स्थापना - 5 वर्षों हेतु लिए गए ऋण पर वार्षिक ब्याज के 50% की प्रतिपूर्ति।

  - शून्य अपशिष्ट प्रौद्योगिकी स्थापनाः 5 वर्षों हेतु लिए गए ऋण पर वार्षिक ब्याज के 50% की प्रतिपूर्ति।
- पेटेंट फाइलिंग - घरेलू पेटेंट पर वास्तविक फाइलिंग लागत का 100% और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट पर वास्तविक फाइलिंग लागत का 50% प्रतिपूर्ति।
- गुणवत्ता प्रमाणन - आईएसओ प्रमाणन के लिए लागत का 75% और बीआईएस प्रमाणन के लिए लागत का 50% प्रतिपूर्ति।

अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचारों के लिए प्रोत्साहन

- अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की स्थापना के लिए – ऋण पर वार्षिक ब्याज के 60% की प्रतिपूर्ति।
- नैदानिक परीक्षणों के लिए - कुल व्यय के 75% की प्रतिपूर्ति।

प्रायोजित अनुसंधान के लिए – उत्तर प्रदेश के भीतर स्थित संस्थानों को पात्र परियोजना लागत पर 50% सब्सिडी।

फार्मा पार्क को प्रोत्साहन - न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर विकसित क्षैतिज फार्मा पार्क और न्यूनतम 3 एकड़ भूमि पर विकसित वर्टिकल फार्मा पार्क को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत निजी औद्योगिक पार्कों के समान प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

नोडल एजेंसी: खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (एफएसडीए)